लोक–संगीत पाठ्यक्रम की अनिवार्यता

डॉ. अमृत लाल शर्मा[1]

लोक संस्कृति किसी देश व प्रदेश का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, बोली, कला एवं पारम्परिक मूल्यों का समावेश है। किसी देश का प्रदेश की पहचान उसकी बहुमूल्य लोक संस्कृति से है। हिमाचल प्रदेश की पहचान इसकी अपनी लोक–संस्कृति, भाषा, बोली एवं कला से है। पिछले अनेक वर्षों से विश्व में तेज गाति से बदलाव हुये। इस बदलाव में हमारी परम्परागत जीवन–शैली, लोक कला, भाषा और संस्कृति को झकझोर कर रखा दिया है। देश, प्रदेश, भाषा जाति धर्म जैसी सीमाएं और बन्धन टूट रहे हैं तथा अपने पारम्परिक मूल्यों और संस्कृतियों के बिखराव से आम जनता में एक तरह की असुरक्षा और अपनी पहचान खोने का भय व्याप्त है। अपनी धरोहर संस्कृति को आधुनिक सभ्यता के विभिन्न रूपों के दबावों से बचाने तथा पुनर्जीवित रखने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। अपनी लोक–कला, लोकसंस्कृति पर मण्डरा रहे खतरों और उनकी मौलिक विशिष्टताओं का विचारोतेजक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु उन खतरों से धरोहर संस्कृति को बचाने के लिए सभी लोक–संस्कृति के विद्वानों को एक मंच पर आना होगा तथा लुप्त होती हुई लोक–संस्कृति को जीवित रखने के लिए निरन्तर संवाद शिविरों एवं संगोष्ठियों की आवश्यकता है। वास्तविकता से आंखे मूंदकर एक–दूसरे पर कटाक्ष करना अपनी लोक–संस्कृति का भद्दा मज़ाक करना है।

आज हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक धरातल पर असली आवश्यकता इस बात की है कि लोक–भाषाओं और लोक–संगीत तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान द्वारा ही सम्भव है। हिमाचल प्रदेश की धरोहर संस्कृति को जीवित रखने के लिए मूल बोलियों भाषाओं के अध्ययन की बहुत ही आवश्यकता है। इसके विकास के लिए सहयोग भी दिया जाना चाहिए। पहाड़ी बोली/भाषा के उत्थान के लिए लोक संगीत, संजीवनी बूटी 'दवा' का काम कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश देवी–देवताओं का प्रदेश है। अनेक महापुरुष हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम की संज्ञा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समारोह लोकसंगीत की मधुर ध्वनि से पूर्ण होते हैं। बड़े–बड़े राजनीतिज्ञ, विभिन्न समुदायों से जुड़े महापुरुष तथा विभिन्न विद्वान अपनी लोक संस्कृति की सराहना किये बिना नहीं थकते। यही लोकसंगीत हिमाचली संस्कृति का दर्पण है।

आज के आधुनिक युग में परम्परागत लोक संस्कृति का लुप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि आधुनिक परिवेश में, लोक संगीत परम्परा में प्रदूषण का अवश्य प्रभाव महसूस हो रहा है। अतः सांस्कृतिक मौलिकता कायम रखने के लिए हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करना आवश्यक है। इसके लिए समाज और व्यक्ति की प्रभावी जागरूकता ही समुचित उपाय हो सकता है। लोक–संगीत परम्परा युग–युगान्तरों से मानवजीवन से जुड़ी हुई सांस्कृतिक धरोहर है। वह न तो कभी अतीत में मृत हुई है न ही कभी मृत होगी। ऐसी अवस्था में उसे जीवित रखने पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। इसलिए लोकसंगीत को स्थिरता देने के लिए एवं इसका संरक्षण एवं सवर्धन करने के लिए विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इसका एक विषय पठन पाठन के लिए परमआवश्यक है तभी लोकसंगीत एवं हिमाचल प्रदेश की धरोहर लोक संस्कृति चिरकाल तक स्थाई रह सकती है तथा हमारी धरोहर लोक–संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्सहान मिल सकता है। आधुनिक युग में जिस गति से भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका प्रभाव मानव–जीवन परम्पराओं एवं मौलिकताओं से अछूता नहीं है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप खेतों, खलियानों में मशीनों से कार्य करना।

ठण्डा पाणी मेरे क्यारू रा आजा सन्तीये धान रोहमणे यह लोक गीत आधुनिक युग में निरर्थक होगा। अस्पतालों में बच्चों को जन्म, आओ रघुवर गाओं बधाइयां ईश्वर ने मन इच्छा पूरी कराइयाँ, यह लोकगीत आधुनिक युग में निरर्थक होगा। विवाह संस्कारों में

1 प्रवक्ता, संगीत वादन, राजकीय महाविद्यालय देहरी, कांगड़ा हि0प्र0।

डीजे व रिकार्डरों द्वारा गीत गाना। विदाई गीत व लाहणी गीत निरर्थक होगें अतः लोक गीतों की रचनाएं भी लोगों द्वारा परिवर्तनों के अनुरूप लय, ताल एवं स्वर में होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। किन्तु हमें इस बात की पूर्ण सजगता के साथ ध्यान रखना है कि हमारी सांस्कृतिक एवं पारम्परिक मौलिकता को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचने पाये तथा वह अपने स्थान पर कायम रहे क्योंकि यह हमारी विरासत है।

लोक संगीत को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य स्वीकार करने योग्य हैं –

1. लोक संगीत में आंचालिकता के तत्व होना अनिवार्य है।

2. लोक संगीत का गायन पक्ष लोक भाषा/बोली में होना चाहिए।

3. लोक संगीत में प्रयोग में लाये जाने वाले छन्द, लोक छन्द होने चाहिए।

4. लोक संगीत शरीर की गति और मन के भावों से समागम करता है।

5. लोक गीतों का शिक्षण मूल निवासी प्रवक्ता प्राध्यापक द्वारा किया जाये। जिस व्यक्ति का सम्बंध यहाँ की मिट्टी से नहीं वह भला कैसे लोकगीतों में प्राण फूंक सकता है।

सर्वसाधारण को इस बात का ध्यान देना परमावश्यक है कि हमारा जो विरासत से प्राप्त (परम्परागत) लोकसंगीत है उस की मौलिकता एवं शुद्ध रूप का बचाव किया जाये और हर समय सही रूप में उसे प्रस्तुत किया जाये वरना लोक कला के इतिहास की दृष्टि से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकासन झेलना पड़ेगा।

आज अधिकतर छात्र–छात्रायें लोकसंगीत पर शोधकार्य कर रहे हैं। लगभग 95 प्रतिशत ऐसे छात्र–छात्राएँ हैं जो लोकसंगीत पर शोधकार्य कर गये तथा कर रहे हैं, वे शास्त्रीय संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, किन्तु लोक संगीत में शोध कार्य प्रारंभ करते हैं। लोक संगीत में शोधकार्य को दिशा भ्रमित होने से बचाने के लिए विद्यालयों में प्रारंभिक लोक–संगीत का ज्ञान, महाविद्यालयों में बी.ए. लोक–संगीत का पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय में लोक संगीत एवं कला संकाय का अलग विभाग खोला जाना चाहिए जिसमें बी.ए. तीन वर्ष का कोर्स एवं एम.ए. लोक संगीत का विषय पढ़ाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तथा छात्र–छात्रायें एक निश्चित योजन तैयार कर हिमाचल के ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर लोक संगीत का प्रत्यक्ष अध्ययन कर उसकी मौलिकता तथा परम्परा को यथावत रखने का प्रयास कार्य सम्पन्न करना होगा। विश्वविद्यालय में ग्रंथालय हेतु लोकसंगीत से सम्बन्धित पुस्तकें, ग्रंथ एवं हिमाचल लोक संस्कृति की पुस्तकें तथा अन्य संग्रह कार्य का रख–रखाव किया जाये ताकि अध्ययन एवं शोधकार्य हेतु अधिकाधिक सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।

महाविद्यालयों में विश्व विद्यालयों की ओर से विजिटिंग फैलोज भेजकर शिक्षण कार्य करवाया जाये। वर्ष में कम से कम दो बार विश्व विद्यालय परिसर या किसी जिला प्रमुख मुख्यालय में लोकनृत्य–उत्सव आयोजित करना होगा जिसमें स्थानीय पारम्परिक लोक कलाकार एवं विश्व विद्यालय के छात्र–छात्रायें दोनों एक साथ लोकसंगीत विभाग के मार्गदर्शन में अपनी लोक कलाओं के प्रदर्शन कर सांस्कृति आदान–प्रदान के द्वारा लोक संगीत को प्रोत्साहित एवं संरक्षण प्रदान कर सकें। लोक संगीत–विभाग में पत्राचार पाठ्य–क्रम तैयार किया जाये जिससे स्वाध्यायी छात्रा–छात्राओं तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सके। विश्व विद्यालय स्तर पर लोकसंगीत की कक्षाओं के लिए बेसिक मेटीरियल एक स्लैक्टिक ग्रुप से तैयार कराये जाये तथा इसका प्रकाशन कर सस्ते मूल्य पर छात्र–छात्राओं की उपलब्ध करवाया जाये।

भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों में लोकसंगीत का एक अलग विभाग है जिससे कि वहाँ के लोकसंगीत को स्थिरता मिली है तथा इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय में प्रशिक्षणार्थी गण उतीर्ण होकर अपनी–अपनी शालाओं में लोकसंगीत को बखूबी सिखा सकते हैं। जिससे लोकसंगीत की परम्परा को मौलिक रूप में संरक्षण प्राप्त होगा तथा हिमाचल प्रदरेश विश्वविद्यालय में लोकसंगीत का शोधकार्य विशुद्धरूप से विकसित होगा।

अतः युग की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार लोक संगीत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए समाज एवं छात्रा–छात्राओं के हित में समुचित समय है। ताकि परम्परागत मौखिक सम्प्रेषण प्रणाली के साथ ही लोकसंगीत का शैक्षणिक अंग भी समाज में व्याप्त हो

सके तथा स्नातक छात्रा–छात्राओं की स्नात्कोतर शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। लोकसंगीत में शोधकार्य अधिकतर हो रहे हैं किन्तु शोधकर्ता की स्थाई दिशा की कमी है। लोक संगीत में स्नातकोतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोकसंगीत में शोधकार्य की दिशाहीनता भी समाप्त होगी। यह तभी संभव हो सकता है जब बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालय तथा सरकार इस ओर उचित ध्यान दें।

इस लोकसंगीत के पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्रा–छात्रायें व्यावहारिक ज्ञान के साथ–साथ सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा लोकसंगीत की मौलिकता को निकट से समझेगें। पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण अंचल के सांस्कृतिक आदान–प्रदान से ग्रामीण जनों के मन–मानव में अपनी संस्कृति तथा कला के प्रति आस्था बनी रहेगी तथा लोक संगीत के संरक्षण की ओर समर्पित भाव से उन्मुख होगे। लोकसंगीत को बुद्धिजीवी वर्ग के बीच सम्माननीय मंच मिल सकेगा। लोकसंगीत के क्षेत्र मे अनुसंधान सर्वेक्षण शोध और अभिलेखन की व्यवस्थित और समन्वित दिशा मिलेगी जिससे भटकाव, दिशाहीनता और दोहराव से बचा जा सकेगा। यह प्रत्यक्ष देखने में आया है कि लोकगीतों के लिखित संग्रह तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन धुनों की स्वरलिपि का अभाव है। लोकसंगीत पाठ्यक्रम के अध्ययन से लोकगीतों की धुन भी स्वरलिपिबद्ध की जा सकती है और उनका पुस्तक के रूप में प्रकाशन किया जा सकता है। उक्त कार्यों से लोकसंगीत के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है तथा उसके माध्यम से राष्ट्र एवं समाज में रचनात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हो सकता है।